


राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,  
कार्यालय मुख्य प्रबन्धक कोटपूतली आगार

निविदा प्रारूप

शाहपुरा आगार में निम्न कार्य जोब बेसिस पर करवाया जाना है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक 26.12.2019 को 15.00 बजे तक कोटपूतली आगार कार्यालय में अपनी निविदायें जमा करवायें। निविदायें दिनांक 26.12.2019 को 15.30 बजे खोली जाकर शाहपुरा आगार कार्यशाला में जोब बेसिस सम्बन्धि कार्य का अनुबन्ध दिनांक 01.01.2020 से दिया जायेगा। निविदा सम्बन्धित प्रपत्र आगार कार्यालय कोटपूतली से 100/-रु जमा करवाकर किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्य का विवरण:-

1. वाहनों के पुराने ईन्जन उतारकर आरसी ईन्जन लगाना।
2. वाहनों में पुराने गियर उतारकर आरसी गियर लगाना।
3. क्लच प्लेट व प्रेशर प्लेट बदली करना।
4. वाहनों की आगे व पीछे की कमानी बदली करना।
5. टायरों को समय पर रोटेशन करना। पंचर निकालना एवं हवा का दबाव सही रखना।
6. 40000 कि०मी० पर डॉकिंग का कार्य करना।
7. फ्यूल ईन्जेक्शन पम्प व इन्जेक्टर बदली करना व ईन्जन टयूनअप (वाल्व क्लीयरेंस) करना (डीजल औसत में सुधार)।

  
मुख्य प्रबन्धक  
कोटपूतली आगार

⇒ कार्यालय मुख्य प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कोटपूतली आगार।

निगम वाहनों का मरम्मत कार्य करवाने हेतु निविदा प्रपत्र  
(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।)

निविदा प्रपत्र

फोटो

निविदा प्रपत्र की राशि 100/-रु  
रसीद संख्या/दिनांक.....

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता .....
2. टेलीफोन/मो० नं० .....
3. धरोहर/सुरक्षा राशि .....
4. रसीद संख्या/दिनांक .....
5. व्यवसायिक अनुभव व उसका विवरण .....
6. निगम में पूर्व में यदि कार्य किया हो तो उसका विवरण .....
7. निविदादाता का बैंक खाता संख्या .....

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा नाम व पता

मो० नं०

निगम की निर्धारित शर्तें पीछे देखें।

(कृ.पृ.उ.)

निविदा की निम्नलिखित शर्तें हैं:-

1. 5000/-रूपये सुरक्षा राशि के रूप में निगम कोष में जमा कराने होंगे, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा जो अनुबंध सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वापिस लौटा दी जावेगी।
2. प्रबन्धक(संचालन) के द्वारा किये गये वाहनों के कार्य का प्रमाणीकरण करने पर ही भुगतान किया जावेगा तथा भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा।
3. अनुबंध आदेश जारी करने के अगले दिन से ही वाहनों का मरम्मत कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा।
4. प्रथमतया अनुबंध छः माह के लिये मान्य होगा।
5. अनुबंधकर्ता/फर्म के बिल में से नियमानुसार उदगम स्थान पर आयकर, सी.पी.एफ./ई.एस.आई. आदि की कानूनी कटौती नियमानुसार नियोक्ता अंशदान भी अनुबंधकर्ता/फर्म द्वारा देय होगा।
6. यदि ठेकेदार अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंध स्वैच्छा से छोड़ना चाहे तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। एक माह की सूचना के मध्य कार्य छोड़ने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. निगम को बिना किसी कारण बताये किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।
8. निविदा फार्म में प्रति कार्य दर अंकों एवं शब्दों में अंकित की जावेगी।
9. ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के कारण वाहन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति मालिक के बिल में से की जावेगी।
10. अनुबंधकर्ता/फर्म न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नहीं ले जा सकेंगे।
11. निर्धारित कार्य आवंटित करने पर कार्य नहीं करते हैं तो प्रतिभू राशि जब्त की जाकर अनुबंध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा।
12. आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूरा करना आवश्यक होगा। अन्यथा मार्ग के कि०मी० निरस्त होने पर भुगतान से कटौती की जावेगी।
13. रात्री पारी व दिन पारी दोनों पारियों में कार्य करना होगा।
14. किसी भी वाद की स्थिति में प्रकरण का निपटारा मुख्य प्रबन्धक, कोटपूतली आगार के कार्यालय में ही होगा। प्रकरण को न्यायालय में नहीं ले जावेगें।
15. आगार कार्यशाला परिसर के दौरान ठेकेदार के किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की स्थिति में निगम प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक औजार स्वयं लेकर आयेगें। निगम द्वारा नहीं दिये जावेगें। वाहनों की मरम्मत हेतु कल-पुर्जे निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें।
17. किसी भी वाहन में कोई नुकसान/कार्यशाला में कोई नुकसान अनुबंधकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसकी वसूली भुगतान/सुरक्षा राशि में से किया जावेगा।
13. कियान्वयन शर्तों एवं अनुबंध के निर्वचन के सम्बन्ध में निविदादाता एवं निगम के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो मामले के निपटारे के लिये निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुये बिना कोई विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिये सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्यक्षेत्र/कार्यस्थल जयपुर होगा।
14. निविदा प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें।
15. निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट-छांट न हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक दो अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
16. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
17. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/वाद विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
18. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
19. मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर/समझकर/सुनकर हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
(शर्तों की स्वीकृति हित)